# <u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 60/2013 **RCMS 2013/00058**

<u>वादीगण</u>

1. श्रवणलाल पुत्र स्व. जीवा जाति रेगर निवासी रेगरो का मौहल्ला कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. मोहनीदेवी पुत्री स्व. जीवा जाति रेगर निवासी रेगरो का मौहल्ला कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

**बनाम**

<u>प्रतिवादीगण</u>

1. बेगाराम पुत्र कानाराम उम्र 63 वर्ष जाति मेघवंशी फौत के कायम मुकाम :—
   1/1— गंगा पत्नी बेगाराम
   1/2— भंवरलाल पुत्र बेगाराम
   1/3— बिदामी पुत्री बेगाराम
   1/4— मन्जू देवी पुत्री बेगाराम
   1/5— राधा पुत्री बेगाराम
   1/6— सन्तोष पुत्री बेगाराम
   1/7— रामप्यारी पुत्री बेगाराम
2. रामस्वरूप पुत्र कानाराम उम्र 62 वर्ष
3. सांवरमल पुत्र कानाराम उम्र 61 वर्ष
4. लिछमा पुत्री कानाराम उम्र 60 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी पांचवा रोड़ दीपपुरा
5. नन्दाराम पुत्र राजू जाति रेगर निवासी मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर नागौर
7. उप पंजियक पंजियन एवं मुद्रांक कुचामनसिटी

**<u>दावा पत्र बाबत घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती,शून्य घोषित करने बेचान दिनॉक 30.11.1967 एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, धारा 92, धारा 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>**

उपस्थित :—श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री रमेश चौधरी एवं श्रीराम अधिवक्ता वादी सं. 2 की ओर से
श्री राजेश [illegible] 1 से 5 की की ओर से।

**निर्ण[illegible]**

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

दिनॉक :— 25-3-2021

वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार [illegible] कि वादी संख्या 1 [illegible]जीवा पुत्र उदा जाति रेगर निवासी कुचामनसिटी तथा नाथी देवी पत्नी जीवा रेगर कुचामनसिटी के संसर्ग से उत्पन्न जीवित सन्तान होने से आपस में पूर्ण रक्त संबंधी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भाई–बहिन है, ग्राम खारिया (तत्पश्चात नवीन राजस्व ग्राम दीपपुरा) तहसील कुचामनसिटी के पुराने खसरा नम्बर ७ रकबा ८७ **बीघा १/२** बीघा बारानी दोयम में से 25 बीघा कृषि भूमि पर वादीगण के पिता जीवा पुत्र उदा पूर्व में जागीर काल से ही काश्तकार थे तथा अपनी पत्नी अर्थात वादीगण की माता नाथीदेवी व वादी सं. 1 के सहयोग से कृषि कार्य कर मोठ इत्यादि कृषि उपज प्राप्त कर अपने परिवार का जीवनयापन करते ओर निर्धारित लगान भी भू–स्वामी को अदा करते रहे ओर इसी आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के दिन 15 अक्टूबर 1955 से लगातार सह खातेदारों के साथ अपने अपने हक हिस्से की कृषि आराजी पर काबिज काश्तकार रहे ओर लगान राजस्थान राज्य को अदा करने लगे फलस्वरूप ग्राम खारिया (तत्पश्चात नवीन राजस्व ग्राम दीपपुरा) तहसील कुचामनसिटी के पुराने खसरा नम्बर ७ रकबा ८७ **बीघा १/२** बीघा बारानी दोयम में से 25 बीघा में 19 U/S R.T.Act के तहत लगातार काश्त होने के आधार पर सह खातेदार राजू पुत्र जीवा रेगर 25 बीघा, धीसा पुत्र भैरू रेगर 20 बीघा, जीवा पुत्र उदा 25 बीघा कौम रेगर साकिन कुचामनसिटी के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों अनुसार उपर्युक्त वादीगण के पिता के नाम भूमि दर्ज हुई तथा नामा. सं. 13 दिनॉक 23.06.1962 को स्वीकृत होकर उपरोक्तानुसार भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई, वादीगण की बाल्यावस्था में उनके पिता जीवा का देहान्त हो गया था तदुपरान्त जीवा पुत्र उदा के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के मुताबित उनकी माता नाथी देवी एवं पुत्र पुत्री वारिस हो गये तथा उक्त जमीन राजू को बांटे पर दी गई तथा नाथी देवी का इन्तकाल 20.11.1993 को हो गया, जीवा पुत्र उदा व नाथी देवी का सजरा खानदान निम्नवत है :–

जीवा पुत्र उदा (मृत) पिता
नाथी देवी (मृत) माता

श्रवणलाल (पुत्र) | मोहनीदेवी (पुत्री)

राजस्व अधिकारियो की त्रुटि अथवा वादीगण के चाचा राजू वल्द जीवा रेगर की राजस्व अधिकारियों से सांठ–गांठ, चतुराई के कारण उक्त आराजी की जमाबंदी सम्वत 2019–2022 में यह इन्द्राज कर[illegible] गया कि म्यूटेशन सं' 158 के अनुसार बिना किसी सक्षम [illegible] अथवा उनकी माता की गैर मौजूदगी उन्हे बिना सु[illegible] जीवा वल्द उदा रेगर कुचामनसिटी का नाम गत खसरा नम्बर 7 में 25 बीघा स[illegible]दारी अधिकार की प्रविष्टि रेकर्ड से तर्क करवा दिया गया और राजू पुत्र उदा रेगर ने सम्पूर्ण खसरा संख्या 7 रकबा 87 1/2 बीघा अवैध रूप से सम्पूर्ण कृषि भूमि अकेले राजूराम ने स्वयं अपने नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

सम्वत 2023–2026 में दर्ज करवा कर पुराने सम्वत 2010–2013, 2016–2019 रेकर्ड के पन्ने फड़वा दिये, नामा. पंजिका ग्राम खारिया प्रविष्टि संख्या 158 की दो प्रमाणित प्रतिया प्राप्त हुई है एक दिनॉक 30.07.1965 की जिसमें तेजा नन्दा भगवतसिंह एवं किशन आदि की खसरा नम्बर 64 99 90 108 का हस्तानान्तरण सुल्तानसिंह पुत्र पृथ्वीराज के नाम दर्शायी गई है दूसरी नकल दिनॉक 27.12.1965 की जिसमें नामान्तरकरण पंजिका प्रविष्टि संख्या 133 को काटकर 158 जोड़ा गया है उसमें कॉलम नम्बर 5 में कबु पुत्र मेगा नाई निवासी खारिया की खातेदारी खसरा नम्बर 229 रकबा 11 बिस्वा राजू पुत्र अदा, घीसा पुत्र भैरू, जीवा पुत्र अदा रामदेव की ८७ बीघा १/२ बीघा दर्शाई गई है, इस नामा. पंजिका के कॉलम संख्या 11 में सुल्तानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह राजपूत निवासी खारिया राजू पुत्र उदा 67 बीघा 7 बिस्वा का घीसा पुत्र भैरू 20 बीघा हस्तानान्तरण दर्शाया गया है जो देखने मात्र से भिन्न भिन्न हस्तलिपि में होना भी साबित होता है तथा वादीगण के पिता की काफी वर्षो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी फलतः आक्षेपित नामान्तरकरण कार्यवाही आपस में विरोधाभाषी है जो बिना किसी दस्तावेज के हेरा फेरी हुई है,नामा. सं. 158 का इन्द्राज जन्म से ही गलत एवं ab-initio-void है, राजस्व नियम अनुसार यह सिद्वान्त है कि पश्चातवर्ती राजस्व अंकन प्रविष्टि के आधार पर ही नवीन रेकर्ड जमाबंदी दर्ज की जाती है, वादीगण के पिता ने उपरोक्त भूमि का अन्तरण कभी भी राजू वल्द उदा एवं प्रतिवादी सं. 1 को कतई नही किया, आक्षेपित नामा. 158 भी खसरा नम्बर 7 से सम्बन्धित नही है इसलिए वादीगण रेकर्ड दुरूस्ती कराकर खातेदारी अधिकार घोषित कराये जाने के मुश्तहक है। उपरोक्त भूमि का राजू पुत्र उदा द्वारा दिनॉक 30.11.67 को पंजिकृत विक्रय विलेख द्वारा अपने को कब्जासुदा खातेदार जाहिर कर इस खसरा के खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 5 के पति कानाराम को विशिष्ट पड़ौस पूर्व – झरड़ा का जाव, पश्चिम–नाथू रेगर का खेत, उत्तर–दला नानू का खेत, दक्षिण–बीजा रेगर का खेत का वर्णन कर इसकी आड़ में अपने हक हिस्से से ज्यादा सम्पूर्ण आरजी का अन्तरित कर दिया, वादीगण के विधि संगत, हित अधिकार की कृषि भूमि का वादीगण के हितो के विरूद्व शून्य विधि विरूद्व अन्तरण है, यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जिस व्यक्ति को बेचने का अधिकार ही नही है वह खातेदार को अच्छा राईट व टाईटल प्रदान नही कर सकता, राजू पुत्र ... नाम वादीगण के पिता के हक हिस्से की 25 बीघा कृषि भूमि पर खातेदारी ab-initio-void होने से राईट व टाईटल भी शून्य है, ओर इसके आधार पर ... बेचान तथा ग्राम खारिया की नामान्तरकरण पंजिका की प्रविष्टि संख्या 20... दिनॉक 09.06.1968 भी वादीगण के खातेदारी हक हकूक के परिप्रेक्ष्य में अशुद्व अवैध विधि विरूद्व होकर शून्य है। तत्कालीन नावां तहसील के राजस्व क्षेत्र पटवार मण्डल ग्राम खारिया में द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भू–प्रबन्ध कार्यवाही में रकबा का निर्धारण हैक्टर में किये जाने से उपर्युक्त गत खसरा नम्बर ७ रकबा ८७ बीधा १/२ बीघा किस्म बारानी दोयम बाद में नवीन राजस्व ग्राम दीपपुरा क्षेत्र में आ गई जिसके नवीन खसरा नम्बर 24 रकबा 7.74 हैक्टर चाही द्वितीय जाव, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.20 हैक्टर गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 43 रकबा 5.90 हैक्टर चाही द्वितीय व जाव, खसरा नम्बर 45 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन कुआ, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.15 हैक्टर गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा नम्बर 327/21 रकबा 0.02 हैक्टर कुल रकबा 14.04 हैक्टर कायम हुये। वाद कारण उपरोक्तानुसार वादीगण के पिता की रेकर्ड खातेदारी की कृषि आराजी के सम्बन्ध में फर्जी व कुटरचित नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 158 वादीगण को प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के तहत सुने बगैर ab-initio-void प्रविष्टि के खेत खसरा नम्बर 24, 25, 26, 43, 45, 327/21 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिया दिनॉक 02.04.2013 को प्राप्त होने के बाद अधिवक्ता से सम्पर्क पर प्रमाणित प्रतियॉ दिखाई तब उसके द्वारा यथाशीघ्र मुकदमा करने की सलाह देने पर बमुकाम कुचामनसिटी में उत्पन्न हुआ। वादीगण की इस्तदुआ है कि नवीन ग्राम दीपपुरा की सरहद में स्थित खसर नम्बर 24, 25, 26, 43, 45, 327/21 जिसमें खातेदारी अभिधारी जीवा पुत्र उदा रेगर कुचामनसिटी के खातेदारी हक की 25 बीघा कृषि भूमि में वादीगण का बहिस्सा बराबर कृषि भूमि के काबिज खातेदार कृषक होने की घोषणा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरूद्व सादिर फरमाई जावे, चूँकि घोषणा कि डिक्री बगैर कब्जा के ऐन्सलेरी रिलीफ की डिक्री के पारित नही की जा सकती अतः ऐन्सलेरी अनुतोष के अधीन कब्जा प्राप्त बाबत निवेदन है कि वादीगण के उक्त खातेदारी हक हिस्से की 25 बीघा कृषि भूमि का कब्जा भी प्रतिवादीगण से दिलवाया जाने की डिक्री सादिर फरमावे। आक्षेपित बेचाननामा दिनॉक 23.7.69 शून्य घोषित फरमावे, नवीन खसरा नम्बर 25 25 26 43 45 327/21 में रेकर्ड दुरूस्ती के तहत वादीगण के हक हिस्से तक की कृषि भूमि से प्रतिवादीगण के 1 ता 5 का नाम हटाया जाकर वादीगण के हक में घोषणार्थ राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी आदि में अमल–दरामद किये जाने से प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 को आदेश जारी किये जावें तथा विक्रय विलेख शून्य घोषित कर प्रतिवादी संख्या 7 को उक्त आशय का अंकन उक्त बेचान से संबंधित पंजीयन रेकार्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी सं. 7 के विरूद्व पारित की जावें। प्रतिवादी 1 से 5 को स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर [illegible] कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से पैरवी हेतु उनके अधिवक्ता उपस्थित आये, प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे,जिससे उनके विरुद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 की

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मृत्यु होने से उसके वारिसान 1/1 से 1/7 को रिकार्ड पर लिया गया, प्रतिवादी सिणगारी पत्नी कानाराम का दौराने वाद इंतकाल हो जाने से उसके स्थान पर पहले से कायम मुकाम रेकार्ड पर होने से सिणकारी को पक्षकार हटाया गया, प्रतिवादी संख्या 1/2, 2, 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। शेष प्रतिवादी 1/1, 1/3 से 1/7, 4, 5 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब अवसर बन्द किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से मिलान क्षेत्रफल की प्रति, जमाबंदी नकल सम्वत ग्राम खारिया 2011–2014, 2019–2022, 2023–2026, 2027–2030, 2034–2037, 2038–2041, 2067–2070, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 ग्राम दीपपुरा, नक्शा ट्रेस की नकल, नामा. संख्या 13, 161, 201,155 की नकल, बेचान दस्तावेज दिनॉक 30.11.1967 की नकल, प्रस्तुत की। दौराने वाद माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना की अपील संख्या 54/2011 श्रवणलाल बनाम तहसीलदार नावां बेगाराम वगैरह में नामा. सं. 158 दिनॉक 27.12.1965 में पारित आदेश 15.04.2015 की नकल प्रस्तुत की तथा प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी/एल.आर./800/2016/नागौर सांवरमल पुत्र स्व. कानाराम बनाम श्रवणलाल पुत्र जीवा रेगर कुचामनसिटी में पारित निर्णय दिनॉक 18.06.2019 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

मुख्य परीक्षण में साक्ष्य वादी श्रवणलाल एवं मोहनी देवी के शपथ–पत्र प्रस्तुत हुये, जिनमें श्रवणलाल से प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई तथा वादिया मोहनी देवी द्वारा वाद को अस्वीकार करते हुए अपने शपथ–पत्र में कथन अंकित किये जाने से जिरह नही हुई।

प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में जीवा पुत्र उदा तथा नाथी देवी पत्नी जीवा कभी भी काश्तकार की हैसियत से काबिज नही रहे है, ना ही इन्होने कभी लगान इत्यादि जागीरदारान अथवा राजस्थान सरकार को अदा किये, इस परिप्रेक्ष्य में वादीगण ने अपने कथनों की पुष्टि में कोई साक्ष्य सबूत भी प्रस्तुत नही किया है, केवल मात्र मनगढ़त तथ्यो पर वाद प्रस्तुत किया है, वादी के माता पिता व परिवार स्थाई रूप से ग्राम त्योद तहसील किशनगढ़ में रहते थे इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1[illegible] में आने के दिनॉक 15.10.1955 से निरन्तर वादी व उसके माता पिता [illegible] के साथ अपने हक हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त करने [illegible] के कथन मिथ्या एवं बनावटी है इसलिए वाद पत्र में वादी द्वारा वर्णित तथ्य वि[illegible] प्रभाव से खातेदारी अधिकार स्वतः जीवा वल्द उदा को अभिधृत होने के अभिवचनों को भी प्रतिवादी उत्तरकर्ता विशिष्ट रूप से अस्वीकार करता है, वादी के पिता जीवा वल्द उदा का राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अधिनियम की धारा 19 के तहत अशुद्व नाम दर्ज हुआ है इसलिए अशुद्व इन्द्राज की शुद्वि के तहत दिनॉक 27.12.1965 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 158 के आदेश के अधीन अमल दरामदगी जमाबंदी में होकर सम्पूर्ण खाते पर राजू वल्द उदा रेगर के नाम खातेदारी अधिकार होने की प्रविष्टि दर्ज की गई है, सम्वत 2023–2026 की जमाबंदी में राजू वल्द उदा रेगर कुचामनसिटी के नाम खारिया के खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा खाता नम्बर 133 दर्ज प्रविष्टि एवं पूरब में–झरड़ा का जाव, पश्चिम –नाथू रेगर का खेत, उत्तर– दला नानू का खेत, दक्षिण– बींजा रेगर का खेत के मध्य मौके पर कब्जा काश्त देखकर वास्तविक खातेदार काश्तकार होने की सन्तुष्टि कर राजू उदा को बहुमूल्य कीमत रूपये 6000/– रूपये काना वल्द दुलाराम, बेगराज वल्द कानाराम बलाई साकिन जिलिया ने खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था, बेचान के आधार पर उत्तरकर्ता के दादाजी कानाराम पुत्र दुलाराम एवं पिता श्री बेगराज पुत्र कानाराम बलाई को मौके पर माफिक रजिस्टर्ड बेचान दिनॉक 30.11.1967 के तहत सम्भला देने की पुष्टि तत्कालीन पटवारी हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक की दिनॉक 07.01.1968 की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत हीराणी द्वारा राजू वल्द उदा रेगर के स्थान पर नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 201 दिनॉक 09.06.1968 स्वीकार कर जमाबंदी सम्वत 2027 से निरन्तर 2041 तक बहैसियत रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार की हक अधिकार अधीन दर्ज होती रही है और बहैसियत मूंग, मोठ, बाजरी आदि काश्त कर लगान राज्य सरकार को कृषक की हैसियत से अदा करते रहे है, इस दौरान प्रतिवादी उत्तरकर्ता के दादा व पिता ने सहायक कलक्टर परबतसर केम्प नावां के न्यायालय में विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्व वाद संख्या 431/84 प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय व आज्ञप्ति दिनॉक 06.01.1984 को जारी की गई जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 621 दिनॉक 02.07.1985 दर्ज किया गया। उपरोक्त नामान्तरकरण बेचान व जमाबंदियों मे किये गये अमल दरामद के सम्बन्ध में वादीगण को शुरू से ही जानकारी व ज्ञान रहा है इसके बावजूद विहित अवधि में बेचान दिनॉक 30.11.1967 को वादीगण ने आज दिन तक सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही करवाया है एवं सहायक कलक्टर नावां के निर्णय व नामान्तरकरण को वादीगण ने नही कभी चुनौती दी है, वादी संख्या 1 ने विवादित नामान्तरकरण संख्या 158 की जानकारी होने का उल्लेख माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में धारा 9 भू–राजस्व [illegible] प्रस्तुत याचिका में प्रकाश पुत्र नाथूराम रेगर कुचामन से दिनॉक 23.07[illegible]07 [illegible] होना बताया है इस कारण वादीगण विवादित कृषि भूमि [illegible] वर्ष की मियाद में राजू वल्द उदा रेगर का नामान्तरकरण संख्या 158 की स्वीकृत प्रविष्टि के अमल दरामदगी के तहत जमाबंदी में अंकन ओर प्रतिवादीगण के पिता व दादाजी को किये गये बेचान को कोई चुनौती नही दी, अब दैराना युक्तियुक्त समयावधि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गुजर जाने के बाद वादी ने करीब 48 साल के बाद यह दावा प्रस्तुत किया है जो सन्धार्य नही है, वादीगण को विवादित आराजी में कभी भी खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही हो सकते है ओर वादी का दावा अस्वीकार कर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर एक मात्र राजू पुत्र उदा की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं जागीर अधिनियम 1952 से पूर्व कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है। जीवा पुत्र उदा का कभी कब्जा काश्त नही रहा है, नामा. संख्या 13 दिनॉक 26.06.1962 को जीवा पुत्र उदा कौम रेगर 25 बीघा की प्रविष्टि का राजस्व अभिलेख में गलत एवं विधि विरूद्व अंकन किया गया। वादी ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनॉक 02.11.2007 को प्रस्तुत किया उसमें कथन किया कि उसके पिता जीवा का स्वर्गवास 13.06.1960 को हो गया था, जिसकी सुनवाई किये बिना नामान्तरकरण संख्या 158 दिनॉक 27.12.1965 को स्वीकृत किया गया है। वादीगण ने उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 13 दिनॉक 23.06.1962 में जीवा वल्द उदा के नाम के स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण स्वतः ही वाईड एवं इन्निश्यो है, इससे प्रमाणित है कि जीवा वल्द उदा का कब्जा काश्त नही था। वादग्रस्त भूमि सम्वत 2011 से रामदेव पुत्र कोजिया कुम्हार दीपपुरा वाले के नाम 3/4 हिस्सा नाथा पुत्र बगसा भांभी कुचामन का 1/4 हिस्सा का अंकन दर्ज था, तत्पश्चात सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण संख्या 158 के जरिये राजू पुत्र उदा के नाम खातदारी में दर्ज हुआ, राजू वल्द उदा ने बहैसियत काश्तकार अपने खातेदारी अधिकार भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा जरिये दिनॉक 30.11.1967 को कानाराम एंव बेगाराम को हस्तानान्तरित किये , बेचान के जरिये नामान्तरकरण संख्या 201 दिनॉक 09.06.1968 राजू वल्द उदा के स्थान पर अमल दरामदगी कानाराम और बेगाराम के नाम स्वीकार होकर जो प्रतिवादी उत्तरकर्ता के दादा जी व पिता है इनका नाम खातेदारी में दर्ज होता रहा है। इसके बाद सहायक कलक्टर परबतसर नावां कोर्ट के वाद संख्या 431/83 अनुसार कानाराम पुत्र दुलाराम बेगाराम रामरूप सांवरमल प्रत्येक के 1/4 – 1/4 भूमि स्वीकृत करने की निर्णय व आज्ञप्ति 06.01.1984 को पारित हुई जिसके नामान्तरकरण संख्या 621 दिनॉक 06.01.1985 को स्वीकृत किया गया। प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा राजू वल्द उदा की खातेदारी देखकर ही भूमि जरिये बेचान 6000/– अदा कर अपने नाम [illegible] है, वादीगण को युक्ति युक्त समयावधि में वाद परिसीमा में [illegible] चाहिए जो अनुच्छेद 137 में तीन साल मियाद निर्धारित है, दा[illegible] ने विशेष कथन में अंकित किया है कि इन दी अलटरनेटिव विदाउट प्रि[illegible]डिस (*in the alternative without prejudice*) यह अभिवाचित किया जाता है कि राज्य सरकार का खातेदार वह व्यक्ति हो सकता है जिसकी असालतन काश्त धारा 5 (25) काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

के अन्तर्गत हो। वादीगण कब्जा काश्त साबित करने में असफल रहे है। प्रतिवादीगण को बेचाननामा दिनांकित 30.11.1967 के जरिये नामान्तकरण संख्या 201 दिनॉक 09.06.1968 प्रमाणित किया गया है, बेचाननामा आज भी प्रभाव में है। इसलिए वादीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है, वादीगण का वाद युक्तियुक्त समयावधि से काफी देरी से करीबन 48 साल बाद पेश किया गया है, इसलिये खारिज किये जाने योग्य है? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रेकर्डेड खातेदार काश्तकार को अपने खातेदारी अधिकारो का बेचान हस्तानान्तरण करने का अधिकार प्राप्त है, गत खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि प्रतिवादी उत्तरकर्ता के दादा कानाराम व पिता बेगाराम ने ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा के दर्शनीय खातेदार अभिधारी विक्रेता राजू पुत्र उदा रेगर कुचामन हाल मंगलपुरा के नाम की प्रविष्टि जमाबंदी में रेकर्डेड खातेदारी के नाम कब्जा काश्त की सावधानीपूर्वक देखकर सन्तुष्टि के बाद प्रचलित कीमत प्रतिफल राशि 6000/– रूपये राजू को अदा कर खातेदारी अधिकार व वास्तविक कब्जा प्राप्त कर सदभाविक खरीददार की हैसियत से काबिज है, इसलिये वादीगण का वाद खारिज करने लायक है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई दोना पक्षो द्वारा अपने–अपने समर्थन में प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार बहस सुनाई तथा अपना अपना पक्ष रखा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। ग्राम दीपपुरा मिलान क्षेत्रफल नकल अनुसार गत खसरा नम्बर 7 से नये खसरा नम्बर 24 25 26 43 45 46 अंकित हुये, जमाबन्दी नकल सम्वत 2011–2014 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में रामदेव पुत्र कोजिया कौम कुम्हार सा. दीपपुरा 3/4 रूगनाथ पुत्र बगसा कौम भांभी 1/4 सा. कुचामन दर्ज है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2019–2022 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में रामदेव पुत्र कोजिया कौम कुम्हार सा. दीपपुरा 3/4 रूगनाथ पुत्र बगसा कौम भांभी 1/4 सा. कुचामन दर्ज है तथा नामा. सं. 13 अनुसार पुरे खाते पर राजू पुत्र उदा 25 बीघा घीसा पुत्र भेरू 20 बीघा जीवा पुत्र उदा रेगर कुचामन व नामा. सं. 158 के अनुसार राजू पुत्र उदा रेगर पुरे नम्बर खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा अंकित है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2023–2026 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 [illegible] बीघा 7 बिस्वा में राजू पुत्र उदा कौम रेगर सा. कुचामन खा[illegible] नकल सम्वत 2027–2030 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रक[illegible] में कानाराम पुत्र दुलाराम बेगाराम पुत्र कानाराम कौम मेघवंशी सा. जिलिया ख[illegible]र दर्ज है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2034–2037 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में कानाराम पुत्र दुलाराम 1/2 बेगाराम पुत्र कानाराम 1/2 कौम मेघवंशी सा. जिलिया सा. देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

खतोदार राहिन यूनाईटेड कॉमर्शियल बैंक कुचामन मूर्तहीन दर्ज है, जमाबन्दी नकल सम्वत 2038–2041 ग्राम खारिया खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में कानाराम पुत्र दुलाराम बेगाराम पुत्र कानाराम कौम मेघवंशी सा. जिलिया खातेदार दर्ज है, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065 ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 24, 25, 26, 43, 45, 46, 327/21 कुल रकबा 14.04 हैक्टर में रामस्वरूप पुत्र कानाराम 1/4 बेगाराम पुत्र कानाराम 1/4 सांवरमल पुत्र कानाराम 1/4 कानाराम पुत्र दुलाराम 1/4 जाति मेघवंशी सा. जिलिया देह खातेदार दर्ज है। ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 24, 25, 26, 43, 45, 46, 327/21 कुल रकबा 14.04 हैक्टर में रामस्वरूप पुत्र कानाराम 1/4 बेगाराम पुत्र कानाराम 1/4 सांवरमल पुत्र कानाराम 1/4 कानाराम पुत्र दुलाराम 1/4 जाति मेघवंशी सा. जिलिया हाल देह खातेदार राहीन खसरा नम्बर 24 25 43 45 337/21 में रामस्वरूप पुत्र कानाराम राहिन नागौर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा कुचामनसिटी मूर्तहीन दर्ज है तथा नामा.सं. 359 से रामस्वरूप का हिस्सा रहनमुक्त हुआ नामा. सं. 360 से रामस्वरूप बेगाराम सांवरमल का हिस्सा यूको बैंक कुचामनसिटी के नाम रहन दर्ज हुआ । नामा. सं. 13 में आर.टी.एक्ट की धारा 19 के तहत रामदेव वगैरह के स्थान पर राजू पुत्र उदा 25 बीघा घीसा पुत्र भैरू 20 बीघा जीवा वल्द उदा 25 बीघा कौम रेगर कुचामन दर्ज है, *नामा. सं. 158 से सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 में राजू वल्द उदा मे नाम नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है,* नामा. सं. 201 राजू पुत्र उदा के स्थान पर कानाराम वल्द दूलाराम बेगराज वल्द कानाराम कौम बलाई सा. जिलिया का नाम जरिये बेचान दर्ज होकर स्वीकार हुआ है, बेचान दस्तावेज 30.11.1967 अनुसार राजू द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा का बेचान कानाराम वल्द दूलाराम बेगराज वल्द कानाराम कौम बलाई सा. जिलिया के पक्ष में 6000/– प्रतिफल प्राप्त कर सब रजिस्ट्रार नावां के कार्यालय में बेचाननामा निष्पादित कराया है। इस न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही श्रवणलाल पुत्र जीवा रेगर कुचामनसिटी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 158 की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के यहॉ प्रस्तुत की जो प्रकरण संख्या 54/2011 श्रवणलाल बनाम तहसीलदार नावां बेगाराम वगैरह दर्ज होकर सुनवाई पश्चात दिनॉक 15.04.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 158 खारिज किया गया तथा राजू पुत्र उदा द्वारा बेचान भूमि को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने की कार्यवाही कराने के आदेश [illegible] द्वितीय अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय अजमेंर के यहा पेश की गई जो प्रकरण संख्या 41/2015 दर्ज हुई तथा दिनॉक 28.01.2016 को निर्णय पारित कर अपील खारिज कर दी गई। उक्त प्रकरण की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मण्डल राजस्थान अजमेर में की गई जो सांवरमल पुत्र स्व. कानाराम वगैरह बनाम श्रवणलाल पुत्र जीवा रेगर वगैरह के नाम से दर्ज हुई जिसमें दिनॉक 18.06.2019 को निर्णय पारित हुआ जिसके अनुसार अतिरिक्त संभागीय अजमेर का निर्णय (अपील सं. 41 / 2015 निर्णय दिनॉक 28.01.2016) एवं अति जिला कलक्टर डीडवाना की (अपील संख्या 54 / 2011 निर्णय दिनॉक 15.04.2015) को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 158 दिनॉक 27.12.1965 को बहाल रखा गया है।

मुख्य परीक्षण में वादी श्रवणलाल पुत्र जीवा द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में जिरह के दौरान कथन किया है कि जीवाराम के खाते की भूमि कहॉ–कहॉ पर स्थित है मुझे ध्यान नही है, उस वक्त मैं नाबालिग था, जीवाराम एवं उसकी पत्नी को कभी काश्त करते हुये नही देखा है, यदि मेरे जन्म से पूर्व लगान इत्यादि दिया हो तो ध्यान में नही है, बिगोड़ी इत्यादि की रसीदे भी प्रस्तुत नही की है, सम्वत 2008 से 2026 तक मैने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है क्योंकि इससे पूर्व ही मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी, ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 7 रकबा 87 बीघा 7 बिस्वा में 1 / 4 हिस्से में न तो जीवाराम एवं उसकी पूर्वजो को कभी काश्त करते देखा है, 15.10.1955 से मेरे एवं मेरे पिताजी जीवाराम व हमारा कभी कब्जा काश्त रहा हो यह कहना गलत है, सम्वत 2008 से 2026 के राजस्व रेकार्ड में कभी नाम नही रहा है, यह बात सही है कि बचपन में ही मै परिवार सहित ग्राम त्योद रूपनगढ़ जिला अजमेर चले गये थे, मेरे द्वारा नामान्तरकरण की अपील माननीय न्यायायल राजस्व मण्डल राज. अजमेर में की गई जिसे खारिज किया गया है जो प्रदर्श एक है, दिनॉक 30.11.1967 को जो बेचान हुआ है उसे आज दिन तक चैलेंज नही किया गया है तथा नही डिक्री कराई गई है, रामस्वरूप कानाराम बेगाराम सांवरमल पुत्रान कानाराम इत्यादि का कब्जा काश्त चला आ रहा है, मोहनी देवी की शादी करीबन सम्वत 2028 के आस पास हुई मोहनी देवी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है, करीबन 54 वर्ष से ही सांवरमल रामस्वरूप बेगाराम का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है।

मुख्य परीक्षण का शपथ–पत्र वादिया मोहनीदेवी पुत्री जीवा रेगर द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद पत्र प्रस्तुत किया है मुझे पता नही मैने मेरे भाई श्रवणलाल के कहने से अंगूष्ठ निशान कि[illegible] ग्राम खारिया नवीन ग्राम दीपपुरा के खसरा नम्बर 7 रकबा 87 [illegible] व मेरे भाई श्रवणलाल का कभी कब्जा काश्त नही रहा है, व[illegible] 25 26 43 45 46 327 / 1 कुल रकबा 14.04 हैक्टर पर जागीर के समय से [illegible] प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है, मेरे भाई श्रवणलाल ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

बिना किसी आधार के वाद–पत्र प्रस्तुत कर दिया है, उपरोक्त भूमि पर कभी भी मेरा एवं मेरे भाई का कभी कब्जा काश्त नही रहा है तथा न ही भविष्य में मांग करूंगी।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण का प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है तथा नही वादीगण के पूर्वजो का कभी कब्जा काश्त रहा है जिसकी पुष्टि वादी श्रवणलाल के द्वारा जिरह के दौरान कथन में कही है। इसी प्रकार वादीया मोहनी देवी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से साबित होती है कि उनका एवं उनके पूर्वजों का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है तथा बचपन में ही वे ग्राम त्योद रूपनगढ़ जिला अजमेर में रहवास हेतु चले गये थे। वादी श्रवणलाल पुत्र जीवा द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र 29.11.2007 को प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि उसके पिता जीवा का देहान्त 13.06.1960 को ही हो गया था, जिसकी सुनवाई किये बिना नामान्तरकरण संख्या 158 दिनॉक 27.12.1965 को स्वीकृत किया गया है, उक्त कथन अपने आप में ही संदेहास्पद है। वादी श्रवणलाल द्वारा इस न्यायालय में नियमित वाद दर्ज कर दूसरी ओर नामान्तरकरण को निरस्त करने की कार्यवाही की है जो विरोधाभासी भी है, चूँकि नियमित वाद के विचाराधीन रहते वादी द्वारा अन्य कार्यवाही अमल में नही लाई जा सकती, उक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। वादी श्रवणलाल द्वारा नामान्तरकण संख्या 158 की अपील माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर डीडवाना एवं माननीय न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त अजमेंर के यहॉ प्रस्तुत की गई जिनको माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा अपने निर्णय दिनॉक 18.06.2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वादीगण द्वारा वाद संख्या 431/1983 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनॉक 06.01.1984 की अपील नही की गई है, जो आज दिन भी प्रभावी है तथा विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना नामान्तरकण संख्या 158 दिनॉक 27.12.1965 को काफी समय बाद चुनौती देने पर निरस्त किये जाने हेतु उपरोक्त न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर ने ही गैर कानूनी एवं न्यायहित में सही नही माना है। वादी श्रवणलाल द्वारा अपने मुख्य परीक्षण जिरह एवं वादीया मोहनी देवी द्वारा वादग्रस्त की भूमि को पहचानने एवं उनके पूर्वजो तथा उनके पश्चात उनका कब्जा काश्त नही रहना एवं नही होना भी इस बात की [illegible] करता है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र केवल मात्र मनगढ़त [illegible] आधार पर प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को प्रताड़ित कर[illegible] प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा उपरोक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनॉक 30.11.1967 क[illegible] दिन से ही निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादीगण के शपथ–पत्र एवं विभिन्न न्यायालय द्वारा उनके विरूद्व पारित आदेश इत्यादि से होती

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

है। साथ ही प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की पुष्टि उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न बैंको से कृषि भूमि में सुधार कार्य हेतु ऋण लेने एवं उनके द्वारा समय पर पुनः बैंको के ऋण को चुकता करने से होती है, वरवक्त बेचान से उनके पक्ष में नामान्तरकरण होना इस बात की पुष्टि करता है कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा मौके पर जाकर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होने के पश्चात ही नामान्तरकरण उनके पक्ष में तस्दीक किया जाकर स्वीकार किया है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही होने से एवं वाद पत्र किसी भी दृष्टि से साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य है।

## आदेश

अतः वाद वादीगण साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 25/3/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested

## डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी    मुकाम : कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 60/2013 RCMS 2013/00058

**वादीगण**

1. श्रवणलाल पुत्र स्व. जीवा जाति रेगर निवासी रेगरो का मौहल्ला कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. मोहनीदेवी पुत्री स्व. जीवा जाति रेगर निवासी रेगरो का मौहल्ला कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

**प्रतिवादीगण**

1. बेगाराम पुत्र कानाराम उम्र 63 वर्ष जाति मेघवंशी फौत के कायम मुकाम :–
   1/1– गंगा पत्नी बेगाराम
   1/2– भंवरलाल पुत्र बेगाराम
   1/3– बिदामी पुत्री बेगाराम
   1/4– मन्जू देवी पुत्री बेगाराम
   1/5– राधा पुत्री बेगाराम
   1/6– सन्तोष पुत्री बेगाराम
   1/7– रामप्यारी पुत्री बेगाराम
2. रामस्वरूप पुत्र कानाराम उम्र 62 वर्ष
3. सांवरमल पुत्र कानाराम उम्र 61 वर्ष
4. लिछमा पुत्री कानाराम उम्र 60 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी पांचवा रोड़ दीपपुरा
5. नन्दाराम पुत्र राजू जाति रेगर निवासी मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर नागौर
7. उप पंजियक पंजियन एवं मुद्रांक कुचामनसिटी

**दावा पत्र बाबत घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती,शून्य घोषित करने बेचान दिनॉक 30.11.1967 एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, धारा 92, धारा 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री मो.हनीफ, श्री रमेश चौधरी, श्रीराम अधिवक्ता हाजिरी .................. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादीगण साबित नही हाने से खारिज किया जाता है।**

निज ........................... मुबलिग ........ बाबत.................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ............. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 03 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

| मुदई | रूपयें | पैसे | मुदायलय | रूपयें | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालात नामा | | | स्टाम्प अर्जी [illegible] | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | [illegible] | | |
| महन्ताना वकिल | | | [illegible] | | |
| खर्चा गवाहन | | | [illegible] | | |
| फिस कमिश्नर | | | [illegible] हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफ[illegible] | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:36:56 IST
Reason: SelfAttested